न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 259/2006 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. उजमा पिता मोगा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. गौतमा पिता उजमा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मृतक हुरमा पिता मोगा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

3/1. नाथीया पिता स्वर्गीय हुरमा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. चेतन पिता उजमा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मृतक बापुडा पिता उजमा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

5/1. श्रीमती भूरी पत्नी स्वर्गीय बापुडा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/2. देवीलाल पिता स्वर्गीय बापुडा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/3. सुश्री रेखा पुत्री स्वर्गीय बापुडा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. नाथा पिता हुरमा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हरदार पिता दलजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कुरीया पिता मोगला, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. हुरजी पिता मोगला, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. बापुलाल पिता मोगला, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. मृतक लालसिंह पिता मोगला, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (लावारिस) नाम तर्क किया गया

6. धीरजी पिता रूपा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. मृतक नानजी पिता रूपा, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

7/1. श्रीमती जूनी पत्नी स्वर्गीय नानजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. मृतक लवजी पिता सवला, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

8/1. बापुलाल पिता स्वर्गीय लवजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/2. शम्भुलाल पिता स्वर्गीय लवजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/3. शंकरलाल पिता स्वर्गीय लवजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/4. रमणलाल पिता स्वर्गीय लवजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/5. श्रीमती बदी पत्नी स्वर्गीय लवजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. मृतक नानिया पिता लीबिया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

9/1. कान्ति पिता स्वर्गीय नानिया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9/2. मगन पिता स्वर्गीय नानिया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9/3. हकरा पिता स्वर्गीय नानिया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9/4. हीरा पिता स्वर्गीय नानिया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10. मृतक हलीया पिता लीबिया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

10/1. लवजी पिता स्वर्गीय हलीया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10/2. धुलीया पिता स्वर्गीय हलीया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10/3. रंगा पिता स्वर्गीय हलीया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10/4. वेस्ता पिता स्वर्गीय हलीया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10/5. पोंजा पिता स्वर्गीय हलीया, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. शंकर पिता कमजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

12. मोहन पिता कमजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

13. प्रभु पिता कमजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

14. श्रीमती गंगा पत्नी कमजी, जाति भील, निवासी डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

15. सरकार जरिये तहसीलदार, आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़
दिनांक 31.08.2006 प्र.सं. 255/2002

---/---

<u>उपस्थित(वक्तबहस)</u> 1— श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री नन्दलाल पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1

---::---

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 24—09—2018</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 183, 53 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार कुल किता 41 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा ग्राम डोकर में स्थित है, जिसमें वादी का 1/6

हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति अनुसार मौके पर पक्षकारान अरसे से काबिज हैं, जिसके अनुसार वादी को आराजी नंबर 2404 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा प्राप्त हुआ, तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 14 से 19 का उपरोक्त भूमियों में कोई हक अधिकार नहीं है, किन्तु व ताकत व शक्ति के बल पर वादी गी उक्त आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर उपयोग–उपभोग से वंचित कर दिया है। अतएवं उन्हें भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 14 से 19 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का आराजी नंबर 2404 में कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त आराजी के पुराने सर्वे नंबर 988 पर प्रतिवादी संख्या 14 से 19 का संवत् 2008 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादी ने मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है। साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें इस भूमि का धारा 19 एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम का वादी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी का इस भूमि पर कब्जा है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। प्रतिवादी संख्या 14 से 19 ने तथ्यों को छुपाकर जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। अतएवं काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की :–

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में दर्ज आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी में होकर वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है ? .... वादी
2. आया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मध्य विवादित आराजियात का बंटवारा होकर आराजी नंबर 2404 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा जिस पर वादी अकेला काबिज होकर कमाता आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 19 तक का कोई हक हिस्सा न होते हुए भी 5 वर्ष पूर्व वादी को डरा धमकाकर बेदखल कर दिया जिसे वादी प्रतिवादी संख्या 14 से 19 को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त खसरा

नंबर 2404 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा का वादी बंटवाड़ा कराकर पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है तथा क्षतिपूर्ति में प्रतिवादी संख्या 14 से 19 तक से रूपये 75,000/– की क्षतिपूर्ति का अधिकारी है ? .... वादी

3. आया वाद पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज आराजी नंबर 2404 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा पर वादी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 988 पर संवत् 2008 से प्रतिवादी संख्या 14 से 19 का उनके पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 14 से 19 खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी हैं ? .... प्रतिवादी संख्या 14 से 19
4. क्या वाद वादी अस्पष्ट होने से परिसीमन में नहीं होने से खारिज योग्य है ? .... प्रतिवादी संख्या 14 से 19

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–08–2006 से वादीगण का वाद स्वीकर कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 19 का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 14 से 19 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–10–2006 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री नन्दलाल पुरोहित उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण ने विवादित भूमि अपीलान्ट के

पिता उजमा के पिता मोगा को दिनांक 01–05–1948 में 3000/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया, जिसकी पुरानी लिखावट की बही अपीलान्ट को अपने पुराने बस्ते से मिली, जिससे अपीलान्ट का कब्जा वर्ष 1948 से प्रमाणित है। उक्त दस्तावेज न्यायिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है अतएवं उसे रेकार्ड पर लिया जावे। आवेदन के साथ बही लिखावट की फोटो प्रति पेश की।

→ उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त लिखावत बाबत् अपीलान्टगण द्वारा अपने जवाबदावे में किसी प्रकार की प्लीडिंग नहीं ली गयी है तथा प्रतिकूल कब्जे एवं शिकमी काश्तकार के आधार पर भूमि का क्लेम कियाा है। अतएवं अब यह दस्तावेज जो कि अपंजीकृत है तथा इस बाबत् उनके द्वारा जवाबदावे में किसी प्रकार की प्लीडिंग भी नहीं की गयी है। अतएवं ऐसे दस्तावेज को रेकार्ड पर रखा जाना न तो प्रसांगिक है, न ही यह दस्तावेज सुसंगत है। तद्नुसार आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 के सन्दर्भ में अभिलेखीय साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है। संवत् 2008 से लगातार संवत् 2012 तक एवं उसके पश्चात् अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। खसरा गिरदावरियों से अपीलान्टगण का कब्जा प्रमाणित है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 19 एवं धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 में भी अपीलान्टगण के कब्जे को अधिनस्थ न्यायालय ने मान्यता नहीं दी है। तनकी नंबर 3 व 4 के सन्दर्भ में भी अपीलान्टगण के कब्जे बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार को नजर अंदाज कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

तनकियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार ही विवेचन किया गया है। तनकी नंबर 1 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की खातेदारी बाबत् विवेचन करना था, रेकार्ड अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय औचित्यपूर्ण तरीके से किया है।

प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 2, 3 व 4 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय में यह वाद वर्ष 2002 में अर्थात संवत् 2059 में पेश किया गया है। संवत् 2059 से पूर्व की ऐसी कोई साक्ष्य अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके आधार पर 12 वर्ष पूर्व से उनका कब्जा प्रमाणित होता हो। अपीलान्टगण द्वारा जो भी खसरा गिरदावरियां पेश की गयी हैं, वह वाद दायरी के अत्यन्त पूर्व की होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व की हैं। अर्थात अपीलान्टगण का कब्जा 12 वर्ष पुराना होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार वादी का वाद अवधि बाधित माने जाने का अथवा अपीलान्ट का शिकमी काश्तकार होने के कारण स्वत्व माने जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय की नवीनतन न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 एवं माननीय राजस्व मण्डल की नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 14–06–2017 पेज 352 अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकी नंबर 2, 3 व 4 का निर्णय पारित किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1432 प्रस्तुत की है, जो रहन से संबंधित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 2006 (1) पेज 191 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलान्ट का स्वतंत्रा पूर्व से निरन्तर कब्जा होने के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट का स्वतंत्रा से पूर्व एवं बाद में निरन्तर कब्जे की कोई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2002 (2) पेज 867 प्रस्तुत की गयी है, जो आदेश 22 नियम 10–ए से संबंधित होकर रहन से संबंधित है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 125 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कब्जे के तथ्य प्रमाणित होने के आधार पर निर्णय किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का निरन्तर 12 वर्षो से कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

इसके विपरीत वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1987 पेज 190 पेश की गयी है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि खसरा गिरदावरी को वार्षिक रजिस्टर नहीं माना जा सकता, जो इस प्रकरण से सुसंगत है। सामग्रता हम यह पाते हैं कि प्रकरण में अपीलान्टगण का शिकमी काश्तकार होने तथा वाद दायरी के 12 वर्ष पूर्व से उसका निरन्तर कब्जा होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर प्रतिवादी/अपीलान्टगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2006 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

उजमा पिता मोगा, जाति भील, नि. डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **हरदार पिता दलजी, जाति भील, नि. डोकर, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰...........**259/2006**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........ ..... **कुशलगढ़** .... मुकाम...............मुवर्खे.............**30**..............माह.............**08**............**2006**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**24**....माह........**09**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री भगवत पुरी**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2006 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**24**.....माह.......**09**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।